उत्तर प्रदेश राज्य को दे दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त बांध से उत्पादित बिजली में से बिहार को बिल्कुल भी हिस्सा नहीं दिया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उक्त करार में बिहार के हिस्से के 92 हजार क्यूसेक फुट पानी के 3/4 को उत्तर प्रदेश सरकार हड़प लेती है; और

(च) क्या सरकार बिहार सरकार को जल तथा बिजली में बराबर का हिस्सा दिलाने के लिए कदम उठाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। 1973 के बाणसागर समझौते में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच 2:1:1 के अनुपात में बाणसागर परियोजना के भण्डारण के उपयोग और निर्माण की लागत के बंटवारे का प्रावधान है, जिसमें पुनर्वास भी सम्मिलित है। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को सोन नदी के क्रमशः 7.75, 5.25 और 1.25 मिलियन एकड़ फुट जल के आबंटन का भी प्रावधान है।

इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के वार्षिक प्रवाह में अधिक उतार चढ़ाव को देखते हुए रिहन्द बांध के लिए 1973 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें विस्तृत सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करने हेतु बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से इंजीनियरों के एक दल द्वारा किए जाने वाले विस्तृत अध्ययनों का प्रावधान है। इसमें, अक्तूबर में सोन बराज के अंतर्गत सिंचाई हेतु 0.3 मिलियन एकड़ फुट भण्डारण के आरक्षण के बिहार के अनुरोध को पूरा करने के लिए वित्तीय पहलू भी सम्मिलित है।

(ख) और (घ) केन्द्र सरकार, केवल केन्द्रीय परियोजनाओं के संबंध में ही संबंधित राज्यों के बीच बिजली के हिस्से को आबंटित करती है । अंतर्राज्यीय नदियों पर निर्मित जल विद्युत परियोजना से जल/बिजली का बंटवारा सामान्य तौर पर संबंधित राज्यों के बीच आपसी सहमति से किया जाता है । रिहन्द बिजली के बंटवारे के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के मध्य समझौता है ।

(ङ) और (च) बाणसागर समझौते के खण्ड 9 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार सोन नदी का अध्ययन करने और राज्यों द्वारा आवश्यक समझे गए सोन जल के प्रयोग में पुनः समायोजन को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के लिए व्यापक योजना तैयार करने हेतु सोन नदी आयोग का गठन किया गया था। इसने उपलब्ध जल का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया था । इसी बीच विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रयोग उभर कर आए जिनपर पहले विचार नहीं किया गया था । इसको मद्दे नजर रखते हुए, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन 9-5-1989 को किया गया । इस बैठक के दौरान जल प्रयोगों का सीमान्त पुनः समायोजन, जलाशयों का समग्र प्रचालन और सोन नदी प्राधिकरण की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे । विचार विमर्श के पश्चात् अंतिम निर्णय लेने हेतु पुनः बैठक करने का निर्णय किया गया था । अगली बठक अभी आयोजित नहीं की गयी है ।

मध्य प्रदेश में इंदौर को नर्मदा जल की अपर्याप्त आपूर्ति

1607. **श्री अजीत जोगी :**
श्री डी. के. हरिप्रसाद :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में इन्दौर को नर्मदा जल की

आपूर्ति करने हेतु की गयी वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना के चरण-III हेतु स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्दौर शहर को पेयजल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नर्मदा जल आपूर्ति स्कीम सोपान-II के पूरा होने पर नर्मदा नदी से उपलब्ध कुल जल आपूर्ति प्रति दिन 38 मिलियन गैलन है, जिसमें से प्रति दिन लगभग 3 मिलियन गलन मऊ राऊ मण्डलेश्वर तथा कुछ गांवों के लिए उपयोग किया जाता है । इस तरह नर्मदा नदी से इन्दौर को जल आपूर्ति प्रतिदिन 35 मिलियन गैलन है । प्रति दिन 7 मिलियन गैलन अतिरिक्त जल यशवन्त सागर, बिलौली, सिरपुर तथा शहर में स्थापित नलकूपों और खुदाई कुओं से लिया जाता है। इस प्रकार शहर में कुल जल आपूर्ति प्रति दिन लगभग 42 मिलियन गैलन है । वर्ष 1991 की गणना के अनुसार जनसंख्या 1104065 है तथा इस जनसंख्या के लिए विद्यमान जल आपूर्ति प्रति व्यक्ति प्रति दिन 38 गैलन अथवा प्रति व्यक्ति प्रति दिन 172 लीटर है, जो पर्याप्त है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) इन्दौर शहर की मांग पूरी करने के लिए जल आपूर्ति के विद्यमान स्रोत पर्याप्त हैं, केवल वितरण प्रणाली के सुधार का प्रस्ताव बनाया जा रहा हैं।

12.00 NOON

[The Deputy Chairman in the Chair]

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report and Accounts (1990-91) of the National Capital Region Planning Board and related papers.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): Madam, I lay on the Table, under section 26 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Sixth Annual Report of the National Capital Region Planning Board for the year 1990-91.

(ii) Annual Accounts of the National Capital Region Planning Board for the year 1990-91, and the Audit Report thereon.

Report and Accounts (1990-91) of the Water and Power Consultancy Services (India) Limited, New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Madam, I lay on the Table, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Twenty-second Annual Report and Accounts of the Water and Power Consultancy Services (India) Limited, New Delhi, for the year 1990-91, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Statement by Government accepting the above Report.